

कार्यालय

उत्तराखण्ड वन-सर्वेय आपके संग

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण।
वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 293 / 32-1-2 (जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांक: 18 अगस्त, 2020

सेवा में,

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा (टिहरी गढ़वाल)।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) एवं सुरसिंगघार बटखेम लामकोट केमवालगांव भोणाबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 1567 / 13 एम0जी0 दिनांक 07-08-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य हेतु मानचित्र को तैयार कर सी0डी0/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

सुरसिंगघार बटखेम लामकोट केमवालगांव भोणाबागी एवं साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग की राजाजी टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 22.3 कि0मी0, 24.8 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

संलग्नक:- सी0डी0।

AE/II/वनसूत्री सहायक

कु0 उपायुक्त कार्यालय में

21/8/2020
21/8/2020

भवदीय,

उप वन संरक्षक,

अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Handwritten signature

Handwritten signature

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा, टिहरी गढ़वाल

Handwritten signature
21/8/2020

Name of the project – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 2.8750 कि० मी०।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

ह०/-

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र प्रारूप 25 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
